

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
20/17	<p>इफ्जही पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अनुपस्थितता द्वारा राजस्व न्यायालय का वकील होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.9.17 को पेश हो।</p>	
17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप, अनुपस्थितता / पीठार में अधिकारी द्वारे पत्रावली को व्यस्त। पत्रावली को अपराजितुवार आईन्दा दिनांक 26.12.17 को पेश हो</p>	
12/12	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप, अनुपस्थितता / पीठार में अधिकारी द्वारे पत्रावली को व्यस्त। पत्रावली को अपराजितुवार आईन्दा दिनांक 20.2.18 को पेश हो</p>	
	<p>20.2.18</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप, अनुपस्थितता / पीठार में अधिकारी द्वारे पत्रावली को व्यस्त। पत्रावली को अपराजितुवार आईन्दा दिनांक 26.4.18 को पेश हो</p>	
	<p>26/18</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप, अनुपस्थितता / पीठार में अधिकारी द्वारे पत्रावली को व्यस्त। पत्रावली को अपराजितुवार आईन्दा दिनांक 20/6/18 को पेश हो</p>	
20/18	<p>पत्रावली आज राजस्व लौक अदालत अग्रिमता : न्याय आपत्तक द्वारा -2018 के तहत कम्प्लायन्स अटल सेवा केन्द्र राजपुरा में पेश हुई। वकील वादीगण उप.। वकील वादीगण ने मुताबिक राजनामा दावा डिफ्री फासाया जाने का निर्दिष्ट किया जिल पर श्रुतिधारी तहसीलदार खण्डेन ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड खं पेशशुदा राजनामा का अवलोकन</p>	

किया गया। जितने अस्वीकृत लेख लीक
अदालत की भावना से वादीगण का वाद
स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर
स्वीकार किया जाता है। तथा चौपण
इस आराध की जारी की जाती है कि :-

उपादेश

उन ग्राम राजपुरा (ख) तहसील खण्डला अस्सी
कृषि भूमि ख. नं. 79, 80 एका 0.42 है. में
उतिवादी नं. 1 ता 5 के पिता/पति/दादा बही
पुत्र जवार का नाम हजफ किया जाकर
वादीगण को उक्त भूमि हिस्सा का खातेदार
कारतकार घोषित किया जाता है तथा भूमि
ख. नं. 818, 1221 एका 2.66 है. में उतिवादी
नं. 1 ता 5 के पिता/पति/दादा बही पुत्र जवार
का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार
कारतकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि
ख. नं. 846, 847 एका 2.54 है. में जवाहरा
पुत्र गणेश के हिस्सा $\frac{1}{2}$ ले नाम हजफ किया
जाकर वादीगण को उक्त हिस्सा का खातेदार
कारतकार घोषित किया जाता है तथा भूमि ख.
नं. 761 ता 778, 828, 837, 838, 843 ता 845
एका 13.01 है. में उतिवादी नं. 1 ता 5 के पिता/
पति/दादा बही पुत्र जवाहरा के $\frac{1}{8}$ हिस्सा ले
नाम हजफ किया जाकर वादीगण को उक्त भूमि
हिस्सा का खातेदार कारतकार घोषित किया जाता
है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराज
हो। तदनुसार पन्ची डिक्री जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर ले कर है तथा बांध
तकमील शामिल दफ्तर है। निर्णय प्रमाण आप सुनाया गया।

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

① लक्ष्मण * बनाम ① श्यामा *

दावा बाबत इन्कटाट हक, उद्घोषणा व त्याग निषेधादा

मुकदमा नम्बर :- 82/2016

निर्णय दिनांक :- 20/06/18

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामवत बिजाणिम

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तब ग्राम रामपुरा (ब) तहसील खण्डेला जयपुरा कृषि भूमि ख. नं. 79, 80 (कवा)

0.42 हे. में उत्तरी नं. 1 ता 5 के पति/पति। रामा बही पुत्र जवात का नाम

हजफ किया जाकर वादीगण को उत्तरी भूमि हिस्सा का वातदा काश्तका चोषित

किया जाता है तथा भूमि ख. नं. 818, 1221 (कवा) 2.66 हे. में उत्तरी नं. 1 ता


5 के पति/पति। रामा बही पुत्र जवात का नाम हजफ किया जाकर वादीगण

का वातदा काश्तका चोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि ख. नं. 846,

847 (कवा) 2.54 हे. में *.

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 20/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(भगीरथ शाख)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला(सीकर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

